

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :-एफ.3 (ख)(ओ-133/88) /अलेसे-11/

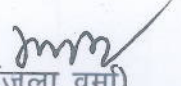
587

दिनांक:- 13/6/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख)(1)अलेसे-11/1234 दिनांक 10.10.2016 (आदेश संख्या 110/2016-17 दिनांक 10.10.2016) के द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से सचिव, युवा बोर्ड (एक्स कॉडर), जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर किया गया था। श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा उक्त आदेश की पालना में आदिनांक तक नवीन पदस्थापन विभाग/ कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। जिसके कारण कार्यालय राजस्थान राज्य युवा बोर्ड, जयपुर का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः श्री ओमप्रकाश शर्मा को आज दिनांक 12.06.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

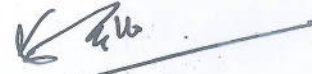
क्रमांक :-एफ.3 (ख)(ओ-133/88) /अलेसे-11/

587

दिनांक:- 13/6/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर।
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा, स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को तुरन्त पालनार्थ।
5. कोषाधिकारी (शहर), जयपुर।
6. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)